

उपसंहार

महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य से किसान आत्महत्या का मुद्दा बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, इसका अध्ययन हमने पांच अध्यायों में किया है। जिससे कुछ मुद्दे सामने निकलकर आते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में सरकारद्वारा बनाए जाने वाली पहल एवं योजनायें एवं सरकार के द्वारा बनाया गया मानसिक स्वास्थ्य कानून यह आज-तक कागजों पर ही लिखा रह गया है। जिसे आज प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित होने की जरूरत है। यहाँ यह कह सकते हैं कि भारत में किसान आत्महत्या जैसा ज्वलंत मुद्दा आज हमारे सामने कई सारे प्रश्नों को लेकर खड़ा है। जिससे हम बच नहीं सकते। समाज जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है जिसेमें वह भौतिकता एवं अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए जीवन जीने के लिए मजबूर है। वही सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाये जा रही कई योजनाएँ सरकार तक ही सिमित रहती है। वह किसानों तक नहीं पहुँच पाती जिससे किसान इससे लाभान्वित नहीं हो पाते। सरकार हर बार सामान्य जनता के साथ खिलवाड़ करते नजर आता है। गाँव-गाँव में तैनात सरकारी अधिकारियों को किसानों के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं के बारे में पता नहीं होता। शोध के दौरान तथ्य सामने आया कि शोध क्षेत्र भिड़ी गाँव के ग्रामपंचायत के उच्च अधिकारियों को कई प्रकार की योजनाओं के बारे में पता ही नहीं था न कहीं किसानों तक इन योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रयास किये जा रहें हैं। गाँव की ग्रामसभा में गाँव के लोगों को अपनी समस्याओं को बताना होता है जो कि सिर्फ हफ्ते-महीने में एखाद बार होती है। जिसमें भी लोगों का सहभाग बहुत कम होता है। गाँव के कुछ लोगों को ग्रामसभा में न जाने के कारणों के बारे में पूछने पर यह जवाब मिलता है कि वहाँ जाकर कुछ नहीं होता न हमारी बातें सुनी जाती है न हमारे प्रश्नों और समस्याओं पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही होती। इस कारण लोग अपनी एक दिन के एक पहर की मजदूरी जाने नहीं देना चाहते। लोगों के मन में सरकार के प्रति निराशा की लहर दिखाई देती है। किसान आत्महत्या के आंकड़ों के बारे में गाँव के आला अफसरों, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी एवं तहसीलदार अफसर को भी पता नहीं होता है, यह बहुत ही निंदनीय बात है। इस स्थिति में हम सोच सकते हैं कि जब गाँव के प्रश्न हल किये जायेंगे तब जाकर गावों में खुशहाली की स्थिति आएगी जिसके लिए आज पहल करना बेहद जरूरी है।

ग्रामीण महिलाओं की बात करे तो महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति आज ठीक नहीं है, इसमें ज्यादातर गाँव की महिलाओं का समावेश होता है। वह अपने परिवार के भरणपोषण के लिए दिन-रात मेहनत करती है लेकिन समाज में पुरुषप्रधान संस्कृति होने की वजह से उसके निरंतर किये जाने वाले काम को काम नहीं माना जाता जिससे वह घर और बाहर दोगुने दर्जे का स्थान पाती है। घर में घरेलु हिंसा एवं आर्थिक तंगी के कारण सदा हताश एवं मानसिक रूप से परेशान रहती है।

जिससे उनमें कई तरह के मानसिक रोग निर्माण होते हैं जो कुछ दिनों में विकराल रूप ले लेते हैं। शोध के दौरान कई महिलाओं में मानसिक तनाव एवं गंभीर शारीरिक समस्याओं के लक्षण दिखाई दिये। लेकिन ऐसे अवस्था में भी ये महिलाएं अपने परिवार का भरण-पोषण करने में अपना जीवन व्यतीत कर रहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य का बिल पास हुए इतने साल होने के बावजूत भी उस दिशा में कुछ खास प्रगति नहीं हो पाई है। भारत सरकार द्वारा भारी-भरकम अनुदान, समय और संसाधन मिलने के बावजूत भी यह संस्थाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाई हैं। आज भी इनकी भूमिका संदिग्ध बनी हुई है।

वहीं सरकार का किसानों के प्रति रवैया संगदिग्ध नजर आता है। भारत में किसानों के लिए सब्सिडी खत्म करने की योजना सरकार बना रहीं है। जिससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकार यदि अपने किसानों को बिजली मुफ्त देती है तो इसे एम्बर बॉक्स सब्सिडी माना जाता है। सस्ती बिजली मिलने से किसान की लागत कम हो जाती है जिसका उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। फिर भी सरकार बिजली मुफ्त करने के पक्ष में नहीं है। अधिक मुनाफ़े के लिए कृषि की तकनीक, बीज, खाद आदि पर निवेश लगातार बढ़ रहा है। धनी किसान अधिक मुनाफ़ा कमाने के लिए अधिक बड़े स्तर पर निवेश करते हैं और इसके लिए वह कर्जा भी लेते हैं। उनके लिए कर्जा लेना कोई समस्या नहीं होती बल्कि वह आसानी से प्राप्त होने वाली राशि होती है। जिसे ब्याज समेत चुकाकर भी वह मुनाफ़ा कमा लेते हैं। दूसरी ओर ग़रीब और छोटे किसानों को मण्डी में टिके रहने के लिए कृषि पैदावार और तकनीक में पैसे लगाने की ज़रूरत होती है और इसके लिए किसानों को कर्जा लेना पड़ता है। छोटे पैमाने पर पैदावार के कारण उनकी आमदनी कम होने से किसानों को कर्जा चुकाना मुश्किल हो जाता है। फसल ख़राब होने या उत्पादन न बिकने की हालत में उनके खर्चे पूरे नहीं होते और वे कर्जा नहीं चुका पाते। इस तरह हम यह भी कह सकते हैं कि ग़रीब और छोटे किसानों के कर्जे और खुदकुशी की जड़ें पूरी पूँजीवादी व्यवस्था में, या यूँ कह लें कि ज़मीन के निजी मालिकाने में है। जब तक निजी मालिकाना है तब तक छोटे किसानों का पैदावार के संसाधनों से वंचित होते जाना एक अटल प्रक्रिया की तरह चलता रहेगा। कर्जा उनके पैदावार के साधनों से वंचित होने की गति को कुछ हद तक बढ़ा देता है, पर यह उनके पैदावार के साधनों से वंचित होने का बुनियादी कारण नहीं होता। अगर ग़रीब और छोटे किसान के सिर पर कर्जा ना भी हो तो भी वह धनी किसानों के साथ ज़्यादा देर मुकाबले में खड़े नहीं रह सकते और उन्हें अपनी जगह-ज़मीन से उजड़कर मज़दूरों की कतार में शामिल होना ही होता है। यहीं कारण है की पंजाब जैसे कई राज्यों में कभी ज़मीन के मालिक होने वाले असंख्य मज़दूर आज अपनी खेती तो छोड़ ही रहें हैं लेकिन काम की तलाश में कई अन्य शहरों में भी विस्थापित हो रहें हैं। शोध के दौरान यह बाद निदर्शन में आई है कि

भिड़ी गाँव और आस-पास के अन्य गोवों के लोग भी कर्ज और बेरोजगारी के कारण तंग आकर गाँव से पलायन कर चुके हैं।

इसी कड़ी में देखे तो आज गावों के किसानों की स्थिति बेहद खराब है ये सभी जानते और समझते भी हैं लेकिन क्या हमने उन विधवा महिलाओं की आर्थिक या मानसिक मनोदशा को जानने की कोशिश की, कि वो किस मानसिक मनोदशा से गुजरती है? इस शोध में हमने पाया कि महिलाओं के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक कारण जिम्मेदार होते हैं। साथ ही सरकार तथा गैर-सरकारी संस्थाएं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए जमीनी स्तर पर क्या काम और वह किस तरह कर रहे हैं और वह किस तरह महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर परामर्श या उसका इलाज करते हैं इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। आत्महत्या से प्रस्तुत शोध में महिलाओं की मानसिक स्थिति का आंकलन किया गया है, साथ ही उनके सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थितियों को भी देखा गया है। किसानों की आत्महत्या के कारणों में से महत्वपूर्ण कारण सरकार की कृषि को बढ़ावा देने वाली नीतियों तक कम पहुँच, कृषकों में निरक्षरता का प्रमाण ज्यादा होने से, किसानों के उत्पादनों को उचित भाव न मिल पाने से, बढ़ता कर्ज और मौसम की बेरुखी, बढ़ता भौतिकवाद एवं सामाजिक दाइत्वों को पूरा न कर पाने के वर्गिय दबाव की स्थिति जिम्मेदार है। इन सभी का विश्लेषण प्रथम अध्याय में दिया गया है। फिर भी आज ज्यादातर ज़मीन का मालिकाना हक मध्यमवर्गीय OBC समाज के पास तथा ब्राह्मण वर्ग के पास है। ज्यादातर खेतिहर मजदूर एस.सी (SC), एस.टी (ST) ही होते हैं। और इन सभी में किसान आत्महत्या मध्यमवर्ग जिसे O.B.C. वर्ग कहाँ गया उनमें सबसे ज्यादा है। इस शोध में आत्महत्या के सामाजिक कारण कितने जिम्मेदार हैं इसका पता लगाया गया है। यह शोध मुख्य रूप से आज के समय में चल रही भारी मात्रा में किसान आत्महत्या के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों का पता लगाने का काम भी करता है।

इस शोध के माध्यम से मन में उठी जिज्ञासा और किसान आत्महत्या के आंकड़ों को देखते हुए मन में यह सवाल आया कि, पुरुष महिलाओं से ज्यादा आत्महत्या क्यों करते हैं? बल्कि समाज में पुरुष को बहुत मान-सन्मान मिलता है, उसे परिवार का करता-धरता कहाँ जाता है, उसे समाज में औरत से ज्यादा शक्तिशाली, बलवान और बुद्धिमान माना जाता है। समाज में इतनी प्रतिष्ठा होने के बावजूत भी पुरुष को आत्महत्या करने की जरूरत क्यों होती है या वो क्यों इस प्रकार का रास्ता अपनाता है। इस सवाल का जवाब अपने क्षेत्र कार्य के दौरान उत्तरदाता महिलाओं, डॉक्टर, और अन्य लोगों से भी पूछा गया कि वह इस बारे में क्या सोचते हैं। सभी उत्तरदाताओं का यही मानना था

कि पुरुष किसी बात को या समस्या को सहन नहीं कर पाते हैं, उनमें सहनशक्ति नहीं होती, बजाय महिलाओं में यह शक्ति उससे ज्यादा होती है। इसका कारण वह समाज में दोगुना स्थान में जीवन जीती है ही लेकिन माहवारी, प्रजनन के कारण वह दर्द सहना जानती है इस कारण वह चीजों को हलके में और आराम से लेती है। पर पुरुष इसके विपरीत करता है। वह प्रजनन और माहवारी के दुखों और तकलीफों को नहीं जानता इस कारण वह दर्द सहन करने का आदि नहीं होता इस कारण भी पुरुषों में ज्यादा आत्महत्या का प्रमाण होता है। लेकिन इसमें यह भी बात बेहद महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को दर्द सहन करने की ट्रेनिंग दी गई है। समाज ने उसे दोगुना स्थान तो दिया है लेकिन उसके प्रगति के सारे रास्ते बंद कर दिए गए घर-परिवार, घरेलु हिंसा में ही उसका जीवन बंध गया था इस कारण वह इसे अपनी किस्मत मानके चल रही थी। उसे अपना जीवन जीने के लिए पितृसत्ता के कड़वे घूट पिने पड़े और वह मानसिक रूप से कमजोर और सहन करने की दृष्टि से या जीवन जीने की चाहत से और ताकतवर होते चली गई। इससे वह इन सारी दुखों की स्थितियों को अपनी किस्मत मानते चली गई। इन सारी स्थितियों में महिलाओं ने खुद को जहाँ दुःख सहन करने के लिए तैयार किया वही पुरुषों के मामले में है, सदा सत्ताधारी पक्ष रहने के कारण अपने विरुद्ध किसी भी अटपटी बातों को, सत्ता के विरुद्ध हो रहीं घटनाओं को न रोक पाने के कारण आत्मग्लानि और सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग जाने की वजह से जिसे सामाजिक तानों एवं अपनी असफलता को पुरुष बर्दाश्त नहीं कर पाने के गम में यह पुरुष आत्महत्या करते हैं। इस कारण भी आज भौतिक एवं आधुनिकीकरण की धुंध में बहता पितृसत्तावादी पुरुष इज्जत गवाने के चक्कर में आत्महत्या जैसा कदम उठा रहा है।

समाज का ढांचागत विकास पितृसत्ता के कोख से हुआ है जिसमें जेंडर गत व्यवहार, कर्तव्य, अधिकार, रहनसहन, बोलचाल के नियमों का कड़े तरीकेसे पालन किया जाता है। इन्हीं पितृसत्ता की जड़े महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में दिखाई देते हैं इसके लिए बहुत सारे करक जिम्मेदार हैं। महिलाओं में धार्मिक आडंबर की स्थितियाँ ज्यादा हैं, चूँकि शिक्षा न होने से वह अपनी चार दिवारी के बाहर नहीं जा पाती, न जाने दिया जाता है, उसे दुनियादारी के लेन-देन में पुरुष कभी सहभागी नहीं करता इस कारण महिलाओं में समाज को देखने और खुद को समझने का मौका नहीं मिल पाता, वह घर परिवार में सिमट कर रह जाती है और बस घर और घरवालों का किस तरह भला हो, घर में किस प्रकार सुख-शान्ति आएगी इसका निरंतर विचार करती है। घर में पति काम पर जाने और बच्चे के स्कूल जाने पर घर की साफ़-सफाई, कूड़ा-करकट निकालना, बार-बार पलंग की बेडशिट बदलना, अनुपयोगी कपड़ों को धुलना, परिवार के बुजुर्गों की सेवा करना और इन सभी से छुटकारा मिलने के पश्चात घर के मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठकर उनकी पूजा, साफ़-सफाई करना, फूल तोड़कर

लाना, धार्मिक पोथी को पढ़ना जैसे कामों में लिप्त हुआ करती हैं। लेकिन पति कहाँ से कर्ज ले रहा है, घर में कितना अनाज हो रहा है इसके बारे में वह पूछ नहीं सकती चूँकि वह उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह सिर्फ इसीलिए क्योंकि महिलाओं को यौनिकता के चलते रक्तशुद्धता के दायरों में सिमट कर रहना पड़ता है। मध्यमवर्गीय समाज में इस बात को सक्ती से महिलाओं पर लादा जाता है कि वह अपनी पढ़ाई थोड़ा बहुत लिखने-पढ़ने और भविष्य में बच्चों को पढ़ाने और ग्रंथों को ठीक से पढ़ सके उतनाही पढ़ना चाहिये इससे ज्यादा पढ़के महिलायें करेगी भी क्या? इसके आगे तो उसे सिर्फ चुला-चौका-बच्चे ही संभालने है, घर की आमदनी को बढ़ाना सिर्फ पुरुषों का काम होता है। इस मानसिकता के चलते महिलाओं को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता और नहीं घर के मुख्य फैसलों में उसे शामिल किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी को यह समझने में आसानी हुई कि पति के तुरंत आत्महत्या के बाद महिलाओं के जीवन में एक अलग ही बदलाव की स्थितियाँ आ जाती है जिससे उसे समाज के साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ा समय लग जाता है कई बार किसान आत्महत्या ग्रस्त महिलाओं में इससे निराशा की स्थितियाँ आ जाती है। इससे उभरने में कई बार बहुत वक्त लगता है। जो कभी गंभीर मानसिक अस्वस्थता का विकराल रूप ले लेती है।

आत्महत्या यह एक मानसिक स्थिति है जो खुद को खत्म करने के लिए प्रवृत्त करती है। इस शोध के द्वारा यह समझने में मदद हुई है कि यह स्थितियाँ तैयार की जाती है। चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। किसानों को पीछे धकेलने वाली स्थितियाँ एवं आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने वाली स्थितियाँ हमारे सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त है जिससे वह उभर नहीं पा रहा है। मुट्टी भर लोग अपने राजनितिक, आर्थिक फायदों के लिए लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यह हालात सारे भारत में है। योजनाओं के नाम से भोली-भाली जनता की लूट, भौतिक सुखों का लालच दिखाकर उस तरफ दौड़ने के लिए मजबूर करती व्यवस्था आज समाज को खोकला कर रहीं है। बाहरी उपनिवेश को सरकार छुपे तौर से समर्थन दे रही है। जहाँ महिलाओं के मानसिक अस्वस्थता को मनोवैज्ञानिक बिमारी मानने के लिए मजबूर है वहीं इस शोध के दौरान आये हुए अनुभवों से यह कहाँ जा सकता है की यह स्थितियाँ भी बनाई गई है। पुरुषप्रधान संस्कृति ने समाज में गहरे रूप से पैर पसारे है यह अमरवेल की तरह बढ़ताजा रहा है। पति की मृत्यु के बाद महिलाओं के जीवन में निराशा के अलावा और कुछ नहीं बचता, बच्चों को लेकर घरवालों के तानों के साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ती है। कहीं महिलाओं की स्थितियों को समझते हुवे उन्हें दूसरी शादी का मौका भी दिया जाता है लेकिन कहीं-कहीं दूसरी शादी का नाम या उसके बारे में महिलायें सोच भी नहीं सकती। कम उम्र में ही विधवा हो जाने का दुःख, किसी जीवनसाथी का अभाव उसे खलता है। सामाजिक दबाव एवं

सामाजिक नियमों के प्रति उसे प्रतिबद्ध होना पड़ता है। इस कारण वह अपनी यौन भावनाओं को किसी के सामने उजागर नहीं कर पाती और नहीं करने का साहस जूटा पाती है। काम के स्थानों पर किसी पुरुष मित्र से लगाव होने पर जो उसके दुःख-सुख समझता है उससे वह अपने मन की बात बयाँ नहीं कर पाती। किसी पुरुष ने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया तब उसे अपने बच्चों के खातिर स्वीकार नहीं कर पाती चूँकि उसे हर समय यहीं डर लगा रहता है कि उसके बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार न हो जाय। यह सारी परम्पराएं महिलाओं के मत्थे समाज ने मढ़ दिए हैं ताकि परिवार एवं समाज में रक्तशुद्धता बनी-बनाई रह सके लेकिन पुरुषों के बाबत इस प्रकार के कोई भी निति-नियम नहीं होते। इस प्रकार परिवार में दोगम स्थान के साथ-साथ वह जीने के लिए बेबस हो जाती है। लेकिन जब हिंसा चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक बढ़ जाती है। वह इसे सहन नहीं कर पाती और इसी कारण महिलाओं में मानसिक अस्वास्थ्यता की स्थितियाँ निर्मित होती हैं।

मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी प्राथमिकता है जिसपर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में स्वास्थ्य सम्बन्धी पहलुओं की अवहेलना, एक दुखद स्थिति है। यहाँ सेवा की उपलब्धता और आवश्यकता के बीच सर्वाधिक व्यापक अंतराल है, आज हमारे देश में नाममात्र 43 मानसिक स्वास्थ्य केंद्र हैं तथा प्रति 10 लाख आबादी के लिए 0.47 मनोचिकित्सक डॉक्टर उपलब्ध हैं। इस स्थिति में सुधार के लिए अनेक मोर्चों पर एक साथ काम करने की आवश्यकता है। पहला यह की सार्वजनिक वित्तपोषण द्वारा विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि करने पर बल दिया जाए जिसके लिए विशेष नियम यह बनाया जाए की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को वरीयता दी जाये तथा उनके अप्रवासन जो की इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है, को सिमित किया जाएगा। प्राथमिक केन्द्रों के साथ समन्वय स्थापित करना आवश्यक है ताकि जिन्हें उपचार की आवश्यकता है उनकी पहचान की जा सके और उन्हें उपयुक्त केंद्र के लिए रेफर/भेजा जा सके। प्राथमिक केन्द्रों को दूर-चिकित्सा संपर्क द्वारा सहायता से सशक्त किया जाना आवश्यक है। इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित जनरल मेडिकल अफसरों और नर्सों की आवश्यकता होगी ताकि योग्यता प्राप्त मनोचिकित्सकों को दूर-चिकित्सा संपर्क भी उपलब्ध कराकर सक्षम बनाया जाएगा। परामर्शदाताओं और मनोविज्ञानियों से प्राथमिक स्तर के सुविधा केन्द्रों द्वारा संचालित मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी सुझाव मिलेंगे। मानसिक निशक्तता को सामाजिक लांछन और भेदभाव से मुक्त करने की दिशा में किये जाने वाले प्रयासों को इस नीति के तहत और अधिक सुदृढ़ और सशक्त बनाया जाएगा। भरती रोगियों के प्रति मानवीय और सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी और पर्यवेक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी इस तरह की योजनायें बनानी बेहद आवश्यक हैं। किसानों के

लिए भारत में अधिक से अधिक सब्सिडी दी जाय। किसानों को कृषि के लिए योग्य प्रशिक्षण दिए जाए। जिससे भारत के कृषकों में वैज्ञानिक कृषि का निर्माण हो सके। कृषि संबंधित एवं उनके काम के सम्बन्ध में उन्हें निरंतर मार्गदर्शन दिए जाए। सरकार किसान आत्महत्या के लिए खुदको जिम्मेदार मानते हुवे विधवा महिलाओं के किसी ठोस उपाय-योजना को करने की पहल करे। मानसिक स्वास्थ्य यह स्त्री-पुरुष दोनों के विषय में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए सरकार ने कोई ठोस कदम करने की आवश्यकता है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाना, लोगों में उसकी व्यापक समझ को पहुंचाना, प्रशिक्षित मनोचिकित्सक, परामर्शदाताओं की नियुक्ति करना शामिल है। इन सभी को लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक रूप से सभी पाठ्यक्रमों में इसकी जानकारी एवं समझ को बढ़ाने का प्रयास करना। दूर-दराज के क्षेत्रों में ज्यादा-से-ज्यादा प्रथमोपचार केन्द्रों की स्थापना करना। लोगों में वैज्ञानिक दृष्टी को लाना जैसे कामों की पहल को सरकार एवं गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से किए जाने की पहल करना बेहद आवश्यक है जिससे स्वस्थ कल्याणकारी राज्य की स्थापना होने में मदद हो सके।